उन्म प्रदेश स्टेट इण्डिस्ट्रियल ११-०६-१५० डेवल गेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड

यूपीएसआईडीसी काग्पलेक्स A-1/4, लखनपुर

पोरट यागस नं० 1050

मानपुर - 208 024 पूरमाप : 2582851-53 (PBX)

फैक्स : (0512) 2580797 थेयराइट: www.upsidc.com

ई गेल : feedback@upsidc.com

वंदर्ग संख्या

/एसआईडीसी/

दिनांक

#### कार्यालय आदेश

उद्योग यन्धु के द्वारा समरत औद्योगिक प्राधिकरणों के लिए प्रस्तावित की गई द्राफ्ट औद्योगिक नीति तथा नीएडा में लागू नीति से तुलनात्मक विश्लेषण करेंते हुए निगम के औद्योगिक भूखण्डों के सम्बन्ध में नीति को निम्नानुसार सरलीकरण हेतु निदेशक मण्डल, द्वारा अपनी 285वीं वैठक में अनुमोदन प्रदान किया है। निम्न संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते हैं:-

क— आवंटन हेतु आवंदक की अईता— निगम में वर्तमान में अनुमन्य विभिन्न श्रेणी के ओवदकों के साथ—साथ कन्सोर्सियम आवंदकों को भी औद्योगिक भूमि के आवंटन हेतु अई माना जायेगा। कन्सोर्सियम आवंदक की विशेषता संलग्नक—'क' के अनुसार होगी।

#### ख- आवंटन-

- 2000 वर्ग मीटर के भूखण्डों में आवंटन क्षेत्रीय स्तर की समिति द्वारा स्क्रीनिंग के पश्चात लाटरी से चयन किया जायेगा।
- 2. 2000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल पर मुख्यालस स्तर की आवंटन समिति के द्वारा अर्ह आवेदकों में आवंटी का चयन।
- 3. आवंटन की प्रक्रिया पूर्ववत रहेगी अर्थात विज्ञापन के पश्चात भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध होंगे तथापि प्रवन्ध निदेशक के द्वारा गुणदोष के आधार पर ओद्योगिक क्षेत्र जिनमें स्कीम ओपर एंडेड रहेगी का निर्णय लिया जा सकेगा।

## ग— लीज रेन्ट—

- नये आवंटनों / हस्तान्तरणों में लीज रेन्ट की दर आवंटन दर का 01 प्रतिशत प्रतिमीटर प्रतिवर्ष रहेगा।
- 2. लीज रेन्ट की दरों को निगम के द्वारा प्रत्येक 10 वर्षों के बाद संशोधित किया जा सकेगा। यह संशोधन पूर्व दरों से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
  - इच्छुक नये आवंटनों / हस्तान्तरणों के आवंटी लागू दर का 11 गुना एकमुश्त लीजरेन्ट (90 वर्षों हेतु) के रूप में भुगतान कर सकेंगे।

. जत्पादन हेतु/ समय विस्तारण शुल्क

नये आवंटियों / हस्तान्तरियों को भूखण्ड पर निर्दिष्ट क्षेत्रफल अच्छादित करते हुए इकाई उत्पादन में लाने हेतु शुल्क-रहित समय 36 माह उपलब्ध रहेगा।

() ()

1

- 2. 36 माह के पश्चात केवल अर्ह मामलों में एक समय में अधिकतम् एक वर्ष का समय विस्तारण सशुल्क किया जा सकेगा। शुल्क की वर्ष वर्षमान में 61.68.2667 से लागू Slab के दरों के अनुरूप रहेगी (1 वर्ष की अविध विस्तानित करते हुए) उदाहरणतयाः तीव्र गति क्षेत्रों के लिए 0=3 वर्ष निश्चलक, 3=4 वर्ष ६%, 4=5 वर्ष 10%। आवंदन के 10 वर्ष के पश्चात किशी भी व्या में समय विस्तानित मही किया जा सकेगा।
- 3. यथि आवंटी को कोई भूजपयोग/भुगतान/अन्य कोई नीटिस प्रेपित नहीं किया गया हो तथा उनके द्वारा अनुगन्य परियोजना के अनुसार ही कार्यवाही किया अन्य प्रस्तावित हो तथा इस हेतु उनके द्वारा निर्धारित भुक्क के साथ आवेदन कर दिया गया हो तो ऐसी दशा में यवि सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय/परियोजना कार्यालय द्वारा 15 दिनों के अन्दर समय विस्तारण आवेदन का निरतारण नहीं किया जाता है तो समय विस्तारण डीम्ड अप्रूवड माना जायेगा तथा आवंटी की उपयोग हेतु समस्त सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी।

# ड.- क्रियाशील इकाई की परिभाषा

जिन आवंटियों ने न्यूनतम मानक क्षेत्रफल आच्छादित कर लिया हो (सामान्यतः आवंटित क्षेत्रफल का 30 प्रतिशत) तथा भूखण्ड पर अनुमोदित परियोजना के अनुसार सम्बन्धित इकाई रथापित कर ली हो, उन्हें 'क्रियाशील इकाई' की संज्ञा प्रदान की जायेगी तथा उनपर तत्सम्बन्ध में लागू हस्तान्तरण शुल्क एवं अन्य सुविधाएँ मान्य होगा।

## च- हस्तान्तरण

- 1. वर्तमान में लागू दर यथावत बने रहेंगे।
- 2. वर्तमान में लागू श्रेणियों के अतिरिक्त 'क्रियाशील घोषित इकाईयों' के लिए धीभी गति में प्रचलित दर का 5 प्रतिशत तथा तीव्र गति में 7.5 प्रतिशत लिया जायेगा।
- उर्तमान में धारा 29 एस०एफ०सी० एक्ट के मामलों में लागू नीति को अवक्रमित करते हुए यह निर्धारित किया गया है कि वर्तमान में नौएडा में लागू नीति के अनुरूप, ऐसे मामलों में हस्तान्तरण शुल्क समानान्तर सामान्य हस्तान्तरण मामलों में लागू दरों का 50 प्रतिशत होगी।

## छ- किरायेदारी

- 1. वर्तमान में लागू किरायेदारी शुल्क प्रचलित दर का 2 प्रतिशत प्रति वर्ष प्रतिवर्गमीटर के स्थान पर 1 प्रतिशत प्रति वर्ष प्रति वर्गमीटर कर लिया जाएगा।
  - 2. किरायेदार अपने पक्ष में विद्युत कनेक्शन ले सकेंगे।

## ण- पुनर्जीवीकरण

ऐसे प्रकरण जिसमें समय विस्तारण शुल्म की देयता सम्यन्धी शर्त आवंटन देविज में स्पष्ट इंगित है में पुनर्जावीकरण की नीति एवं शुल्क में परिवर्तमन कर दिया गया है। क्षेत्रीय प्रवन्धक निरस्तीकरण के जपरान्त अनावंटित भूखण्डों के पूर्व आवंटियों द्वारा पुनर्जावीकरण हेतु किये गये आवेदन को परीक्षण कर संस्तुति सहित मुख्यालय प्रेपित करेंगे। प्रवन्ध निदेशक द्वारा पुनर्जावीकरण अनुमन्य करने का निर्णय लेने के पश्चात सर्वप्रथम आवंटी से निम्न प्राप्त किये जायेंगे:--

- 1. देयताएँ तथा उनपर व्याज (सम्पूर्ण अवधि का)
- 2. समय विस्तारण शुल्क (सम्पूर्ण अंतरिग अवधि का) उपरोक्त प्राप्त होने के पश्चात औपचारिक पुनर्जीवीकरण पत्र जारी किया जायेगा, जिसमें पुनर्जीवीकरण शुल्क जो प्रचित्तत दर का 10 प्रतिशत रहेगा, की मॉग की जायेगी, जो एक मुश्त अथवा किश्तों में मॉगी जा सकेगी।
- डा— मार्टगेज— वर्तमान में अनुमन्य सुविधाओं के अतिरिक्त क्रियाशील इकाईयों में collateral mortgage की सुविधा भी अनुमन्य कर दी गई है।

(भॅनोज सिंह) प्रयन्य निदेशक

पृ०सं० १०७ / एसआईडीसी /-१ मे- १८८ र अध्य - १८० विनांकः १ - १ - १५ प्रितिलिपः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- समस्त अनुभागाध्यक्ष, यूपीएसआईडीसी, कानपुर।
- 2. समरत क्षेत्रीय प्रवन्धक/परियोजना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, यूपीएसआईडीसी को आवश्यक कार्यवाही तथा अपने क्षेत्रान्तर्गत उद्यमी संघो को सूचित करने हेतु ।
- अर्थ भी सुयोध सक्सेना, उपप्रबन्धक, (औद्योगिक क्षेत्र) को इस निर्देश के साथ की आवंटियों को जारी होने वाले पत्र/प्रपत्र यथा आवंटन पत्र, हस्तांतरण पत्र, लीज डीड, किरायेदारी पत्र/अनुबन्ध में यथावश्यक संशोधन कर प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को निर्गत करायेंगे।
- 4. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग, यूपीएसआईडीसी, कानपुर को उक्त आदेश को निगम की वेयसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(मनोज सिंह) प्रबन्ध निदेशव

# आवेदक कन्सोसीयम की प्रमुख विशेषता

- कन्सोर्सियम के प्रत्येक सदस्य के पास 10% या प्रवन्ध निदेशक द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंश
  हो।
- सदस्यों द्वारा एक लीड सदस्य का चयन किया जाएगा जो आवंटन आदि के बारे में पत्राचार करेगी।
- लीड सदस्य के पास न्यूनतम 26% अथवा प्रवन्ध निदेशक द्वारा निवृतित न्यूनतम अंश होंगे।
- 4. लीड सदस्य भारत में पंजीकृत एक फर्म/कम्पनी होगा।
- 5. सदस्यों द्वारा इस आशय का एक MOU प्रस्तुत किया जाएगा कि उन्होंने संयुक्त रूप से आवेदन आवंदन के उद्देश्य से आवेदन किया है तथा यदि आवंदन किया जाता है तो परियोजना क्रियान्वयन हेतु एक SPV का गठन किया जाएगा।
- 6. MOU में प्रत्येक सदस्य के दायित्वों एवं जिम्मेदारियों का स्पष्ट उल्लेख होगा—विशेषकर ऋण/अंशपूँजी की व्यवस्था तथा परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में। एन०ओ०यू० में प्रत्येक सदस्य के परियोजना क्रियान्वयन में संयुक्त एवं एकल रूप से जिम्मेदार होने का स्पष्ट उल्लेख होगा।
- 7. एस०पी०वी० एक पंजीकृत पार्टनरशिप/कम्पनी होगी।
- 8. एस०पी०वी० जिसमें लीड सदस्य एवं प्रासांगिक सदस्य होगें, भूमि हेतु पट्टा निष्पादित करेगी एवं इसके पूर्व साझेदारों / अंशधारकों की सूची प्रेषित करेगी।
- 9. इकाई के क्रियाशील इकाई घोषित होने तक 'लीड सदस्य' को एस0पी0वी0 में अपनी मूल अंशधारिता बनाए रखनी पड़ेगी।